राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1397/2023

हिमांशु शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय), जयपुर।
4. प्रधानाचार्य सह पी.ई.ई.ओ. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Barkheda, ब्लॉक चाकसू, जिला जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.05.2023
आदेश की दिनांक : 02.06.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश क्रमांक 3076/2023 दिनांक 01.05.2023 एवं आदेश क्रमांक 3078/2023 दिनांक 01.05.2023 (अनुलग्नक–1 व 2) को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को निलंबन से बहाल कर उसे पुनः अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बरखेडा, चाकसू, जयपुर में अधिकरण के आदेश दिनांक 25.04.2023 की पालना में पदस्थापित किया जाए।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का अभिकथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बरखेडा, चाकसू, जयपुर में कार्यरत है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर हुई थी और उसे आदेश दिनांक 21.04.2023 के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया, जो नियम 25ए के विपरीत जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 192/2023 प्रस्तुत की और अधिकरण के आदेश दिनांक 25.04.2023 के द्वारा उक्त आदेश को स्थगित कर दिया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने कार्यग्रहण करने

हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 29.04.2023 को दिया, परंतु अपीलार्थी को आदेश दिनांक 01.05.2023 को जारी कर यह उल्लेखित किया कि अपीलार्थी को अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश जो उक्त विभागीय आदेश को स्थानान्तरण मानते हुए दिया गया है। अतः समुचित स्थगन आदेश के अभाव में नियमानुसार कार्यग्रहण नहीं कराया जा सकता और इस प्रकार अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कार्यग्रहण नहीं करवाया गया और आदेश क्रमांक 3078 दिनांक 01.05.2023 के द्वारा अपीलार्थी को विभागीय जांच प्रस्तावित करते हुए राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबित कर दिया गया, जो विधि एवं सेवा नियमों के विरूद्ध है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 7034/2022 टीकाराम मीणा बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी.सी.डब्ल्यू. पी. संख्या 7349/2021 लव कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं एस.बी.सी.डब्ल्यू. पी. संख्या 1178/2022 डॉ. रामपाल मिरडा बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेशों की ओर अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार के आदेशों को उचित नहीं माना है।

अतः उक्त आधारों के आधार पर अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश क्रमांक 3076/2023 दिनांक 01.05.2023 एवं आदेश क्रमांक 3078/2023 दिनांक 01.05.2023 (अनुलग्नक–1 व 2) को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को निलंबन से बहाल कर उसे पुनः अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बरखेडा, चाकसू, जयपुर में अधिकरण के आदेश दिनांक 25.04.2023 की पालना में पदस्थापित किया जाए।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अधिकरण के समक्ष अपील में अपीलार्थी को स्थगन प्रदान किया गया और अंतरिम आदेश दिनांक 09.05.2023 की अनुपालना में आदेश क्रमांक 3076/2023 दिनांक 01.05.2023 को तत्काल प्रभाव से आदेश दिनांक 09.05.2023 के द्वारा प्रत्याहरित कर लिया गया। अपीलार्थी कार्मिक के विरूद्ध भिन्न–भिन्न प्रकार की गंभीर प्रकृति की शिकायतें कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, चाकसू, जयपुर के आदेश दिनांक 14.03.2023 के द्वारा गठित जांच कमेटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट भी प्राप्त हुई। उक्त जांच रिपोर्ट में अपीलार्थी के विरूद्ध अनुशासनहीनता, अभ्रदता, संस्था प्रधान के साथ हाथापाई, धमकी देना तथा शैक्षिक वातावरण खराब करने जैसे महत्वपूर्ण बिदुंओं पर जांच की गई, जिसमें अपीलार्थी प्रारंभिक जांच में दोषी पाया गया एवं अपीलार्थी द्वारा फेसबुक आदि पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विरूद्ध

अमर्यादित टिप्पणी की पोस्ट डाली गई। साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाडने संबंधित टिप्पणियां भी की गई, जो जांच पंत्रावली में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की अभिशंषा के साथ प्रस्तुत की गई और उक्त शिकायतों की निष्पक्ष जांच के आधार पर ही राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबन आदेश जारी किया गया, जो सही एवं नियमानुसार है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय (निलंबनाधीन) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बरखेडा, चाकसू, जयपुर में कार्यरत है। आदेश दिनांक 21.04.2023 के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया, जिसके विरूद्ध अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को स्थगन प्रदान किया गया और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 09.05.2023 के द्वारा प्रत्याहरित कर लिया गया। अपीलार्थी का व्यवहार कार्मिकों के प्रति सम्मानजनक न होने के कारण उसके विरूद्ध गंभीर प्रकृति की शिकायतें कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई, जिसके क्रम में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, चाकसू, जयपुर के आदेश दिनांक 14.03.2023 के द्वारा गठित जांच समिति द्वारा प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट में अपीलार्थी के विरूद्ध अनुशासनहीनता, अभ्रदता, संस्था प्रधान के साथ हाथापाई, धमकी देना तथा शैक्षिक वातावरण खराब करने एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विरूद्ध अमर्यादित टिप्पणी की, साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाडने संबंधित टिप्पणियां भी की, जिसकी जांच पत्रावली में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की अभिशंषा के साथ प्रस्तुत की गई। अनुलग्नक आर–1, आर–2, आर–3 एवं आर–4 के अवलोकन से भी यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी का व्यवहार अपने कार्मिकों एवं अधिकारियों के प्रति असम्मानजनक रहा है तथा अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा एवं ईमानदारी से दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया, जो दण्डनीय श्रेणी में आता है और उक्त शिकायतों की निष्पक्ष जांच के आधार पर ही राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबन आदेश जारी किया गया, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना प्रकट नहीं होता है।

जहां तक अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त मामलों में प्रतिपादित सिद्धांतों की ओर ध्यान आकर्षित किए जाने का प्रश्न है, हमारे मत में उक्त मामले अपीलार्थी के मामले से भिन्न है। इस प्रकार अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील खारिज फरमाई जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण एतद् द्वारा खारिज की जाती है। अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 09.05.2023 की पुष्टि कर प्रावकाश (vacate) किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य